प0सं0–14/डी0एल0ए0 लखीसराय (थाना भवन)–30/13–/1595/रा0, पटना–15, दिनांक–20/06/2013

बिहार – सरकार

राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन शाखा)

अधिघोषणा

पत्रांक....................../भू–अर्जन, दिनांक...............................

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा– माधोपुर, थाना न0–91 थाना– कजरा, जिला लखीसराय के अंचल सूर्यगढ़ा में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात कजरा थाना भवन निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी आपेक्षित है, इसलिए एतद् द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ मौजा– माधोपुर, थाना न0– 91 थाना– कजरा, अंचल– सूर्यगढ़ा जिला– लखीसराय के अन्दर भूमि का एक भू–खण्ड अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश रकवा 1.20 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका अर्जनाधीन खेसरा निम्नांकित है :–

अंश खेसरा:– 91 एवं 96 ।

जिसका निम्नांकित चौहदी के अन्दर है :–

उत्तर – सड़क माधोपुर से अलीनगर।

दक्षिण – बचित खेसरा 91।

पूरब – बचित खेसरा 91।

पश्चिम – 83, 84, 85।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाले कोयला, लोहा, पत्थर या अन्य खनिजों के खान की आवश्यकता नहीं है। किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भू–अर्जन की जा रही है। इस निर्माण के लिए खोदने या हटाने या उपयोग मे लाना आवश्यक हो तो ले लिये जायेगें। यह घोषणा 1894 की धारा 6 और अधिनियम 1885 की धारा 3 के खण्ड (1) के उपबन्ध के अधिन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे सम्बन्ध हो। भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन कार्यालय लखीसराय मे देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

24-6-13

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

सरकार के ~~उप सचिव~~/अवर सचिव।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापंक 1595/रा०/भू–अर्जन,   दिनांक - 20-06-13

प्रतिलिपिः– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, बिहार–पटना को सी0डी0 सहित एवं तीन प्रारूप दो दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाय।

प्रतिलिपिः– उप–समाहर्त्ता, प्रभारी सामान्य शाखा, समाहरणालय, लखीसराय को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। प्रकाशित गजट की पॉच प्रतियॉ जिला भू–अर्जन कार्यालय, लखीसराय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपिः– समाहर्त्ता, लखीसराय, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
लखीसराय।

समाहर्त्ता,
लखीसराय।

सरकार के ~~उप सचिव~~/अवर सचिव।